179
08.02.2021

# राजस्थान सरकार
## सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
अम्बेडकर भवन, जी 3/1,राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र,जयपुर

कमांक प.4( )लेखा/भुग./सान्याअवि/2020–21/ 4624 जयपुर, दिनांकः 8/2/2021

### प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृती संख्या– 9 /2020–21

मुख्यमंत्री सहायता कोष से दुर्घटना के प्रकरणों में दी गई सहायता राशि के पुनर्भरण हेतु वित्त विभाग की सहमति आई.डी. सं. 162100069 दिनांक 01.02.2021 के कम में अक्टुबर, 2020 (बकाया राशि) एवं नवम्बर 2020 में भुगतान की गई राशि के पेटे राशि रू. 600.00 लाख (अक्षरे राशि रू. छः करोड मात्र) मुख्यमंत्री सहायता कोष के निजी निक्षेप खाते में अंतरित करने की एतद् द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है। यह राशि निम्नांकित लेखा शीर्ष से वहन की जायेगी :–

2235– सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण
02– समाज कल्याण
200– अन्य कार्यकम
(19)– सडक दुर्घटना, प्राकृतिक दुर्घटना/आपदा, पशु दुर्घटना इत्यादि हेतु मुख्यमंत्री सहायता कोष के मार्फत अनुदान
[00]–
12 – सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन) राज्य निधि

यह स्वीकृती निम्न शर्तो के अध्यधीन होगीः–

1. स्वीकृत अनुदान राशि का व्यय करने हेतु लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 व नियम 2013 तथा योजना के दिशा–निर्देश, तत्सम्बन्धी नियम/निर्देश व निर्धारित प्रक्रिया की पालना सुनिश्चित की जावें।
2. निजी निक्षेप खाते से राशि का आहरण वास्तविक आवश्यकता के अनुसार निर्दिष्ट प्रयोजन के लिए ही किया जावें।
3. व्यय की राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में निर्धारित अवधि में महालेखाकार/स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग को प्रस्तुत किया जावें।
4. निजी निक्षेप खाते मे हस्तान्तरित राशि का व्यय निर्धारित समय में स्वीकृत उद्देश्य पर ही किया जावें तथा निर्धारित समय में खर्च नही हुई राशि राजकोष में पुनः जमा कराई जावे।
5. व्यय के लेखे महालेखाकार एवं राज्य सरकार के निरीक्षण के लिए सदैव खुले रहेगे।

(हस्ताक्षर) 8/2/21
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव
सान्याअवि ,जयपुर

कमांक प.4( )लेखा/भुग./सान्याअवि/2020–21/ 4625-34 जयपुर, दिनांकः 8/2/2021
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हक/ लेखा परीक्षा, राज., जयपुर।
2. सचिव (द्वितीय), मुख्यमंत्री सचिवालय, जयपुर।
3. विशिष्ठ शासन सचिव, वित (व्यय–2), विभाग, राज. को उनकी अन्तर्विभागीय सहमति संख्या 162100069 दिनांक 01.02.2021 के कम में।
4. निदेशक (बजट), सचिवालय, राज., जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि मुख्यमंत्री सहायता कोष के निजी निक्षेप खाते में राशि रू. 600.00 लाख (अक्षरे राशि रू. छः करोड मात्र) तत्काल अन्तरित कर इस विभाग को सूचित कराने का श्रम करावे।
5. निजी सचिव, निदेशक, सान्याअवि, मुख्यालय, जयपुर।
6. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय।
7. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, क.(ए) 98. नं. शासन सचिवालय, जयपुर, राजस्थान।
8. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, सचिवालय, जयपुर।
9. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर को ऑनलाईन करने हेतु।
10. कार्यालय आदेश पत्रावली।

(हस्ताक्षर)
अतिरिक्त निदेशक
(सतर्कता एवं प्रशासन)

d:\hariom\uo note.doc

Email ID- raj.sje@rajasthan.gov.in
Phone – 0141-2226647